**लुप्त होने के कगार पर खड़ी जनजातियां**

1226. **श्री अजीत जोगी :**
**श्री राधाकिशन मालवीय :**

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समुचित सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के अभाव में कई जनजातियां लुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं और मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में बसने वाली ऐसी ही एक जनजाति बिरहोर (बिरहूल) के व्यक्तियों की संख्या घट कर केवल 85 रह गई है ;

(ख) देश के अन्य कौन-कौन सी जनजातियों के लुप्त हो जाने की आशंका है ;

(ग) क्या निकोबार द्वीपसमूह की "शाम्पेन" जनजाति और मध्य प्रदेश की पहाड़ी "कोरवा" जनजाति भी उन जनजातियों में से है जिनके लुप्त होने की आशंका है ; और

(घ) सरकार इस दिशा में क्या पहल कर रही है ?

**कल्याण मंत्री : (श्री सीताराम केसरी)** : (क) और (ख) 1981, की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजाति समुदाय जिनकी जनसंख्या अखिल भारतीय स्तर पर 1000 से कम है परन्तु 1971 की जनगणना की तुलना में जिनकी संख्या में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है, सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिखाए गए हैं। आदिवासी उपयोजना दृष्टिकोण के अधीन, पांचवीं पंचवर्षीय योजना से, अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत के महापंजीयक जनगणना संचालन की सूचना के अनुसार "बिरहोरे" जनजाति मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में नहीं रह रही है। ये आदिवासी समुदाय मध्य प्रदेश के रायगढ़, सुरगुजा तथा दुर्ग जिलों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में रह रही "बिरहोरे" जनजाती की 1961-1981 जनगणनाओं में जनसंख्या प्रवृत्ति इस प्रकार थी --

| जनगणना अवधि | जनसंख्या |
|---|---|
| 1961 | 513 |
| 1971 | 738 |
| 1981 | 561 |

(ग) और (घ) जी नहीं। निकोबार द्वीप समूह की शैम्पेन्ज जनजाति की जनसंख्या प्रवृत्ति 1961-1981 जनगणनाओं के दौरान इस प्रकर थी --

| जनजाति का नाम | जनगणना की अवधि | | |
|---|---|---|---|
| | 1961 | 1971 | 1981 |
| निकोबार द्वीप समूह की "शैम्पेन्ज" जनजाति | 71 | 92 | 223 |

भारत के महापंजीयक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार "पहाड़ी कोरवा" मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के रूप में स्वतंत्र रूप से अधिसूचित नहीं है। इसलिए उनकी जनसंख्या के आंकड़े जनगणना प्रलेखों में उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, राज्य सरकार के अनुसार, पहाड़ी कोरवा जो कि अनुसूचित जनजाति के मुख्य कोरवा समूह का एक भाग है, 1961-1981 जनगणना के दौरान जनसंख्या प्रवृत्ति इस प्रकार थी --

| | जनसंख्या अवधि | | |
|---|---|---|---|
| | 1961 | 1971 | 1981 |
| मध्य प्रदेश के पहाड़ी कोरवा | 4000 | 13488 | 16860 |

विवरण

1971–1981 जनगणना के दौरान कम हो रही अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

| अनुसूचित जनजाति का नाम | राज्य का नाम | जनसंख्या 1971 | 1981 |
|---|---|---|---|
| मारवाड़ | गुजरात | 531 | 519 |
| खम्बा | अरुणाचल प्रदेश | 848 | 342 |
| गोंडा | अरुणाचल प्रदेश | 703 | 625 |
| कोटा | भारत | 1291 | 720 |
| | कर्नाटक | 103 | 75 |
| | केरल | — | 41 |
| | तमिलनाडु | 1188 | 604 |
| मेलायेकन्दी | भारत | 543 | 199 |
| | कर्नाटक | 46 | 129 |
| | तमिलनाडु | 497 | 70 |
| मलेरू | कर्नाटक | 1321 | 966 |
| ओंगे | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 112 | 97 |
| योबिन | अरुणाचल प्रदेश | 920 | 5 |
| जम्पिरिंग | अरुणाचल प्रदेश | 23 | 14 |

**Denial of cash allowance to cashiers of RRBS under SBI in some States**

1227. SHRI ASHIS SEN; Will the Minister of FINANCE be pleased to state.

(a) whether the Regional Rural Banks sponsored by State Bank of India in Andhra Pradesh are allowing cash allowance to the cashiers as per rules operating in State Bank of India;

(b) if so, what are the reasons for not allowing the same in such banks sponsored by State Bank of India in other States; and

(c) whether Government have received the notice of agitational programme from the All India Regional Rulal Bank Employees Association; if so, what steps Government have taken to resolve this issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Yes, Sir. The Government have received agitational notice from All India Regional Rural Bank employees Association. The employees of Regional Rural Banks have already been allowed pay scales etc. applicable to equated posts in sponsor banks' **w.e.f.** 1.1.91. A working group created by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) will consider the matter relating to promotion policy in RRBs, framing service regulations and also for considering any other matters affecting RRB employees.